जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बलिया अनुमोदित दिनांक 28.11.2017 में प्रथम संशोधन हेतु प्रस्ताव

(ड्रॉफ्ट)

कार्यालय ज्ञाप

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 में दिये गये निर्देशों के क्रम में परिष्टि संख्या–10 के अनुसार उपखनिज साधारण बालू हेतु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, बलिया के लिए तैयार करते हुए दिनांक 28.11.2017 को समिति (डी0ई0आई0ए0ए0) द्वारा अनुमोदित किया गया था। जिसमें पूर्व में दीर्घ खनन पट्टों के माध्यम से परिहार पर उपलब्ध कराये जाने हेतु 04 बालू खनन क्षेत्र चिन्हित है। वर्तमान में 02 और नये साधारण बालू खनन क्षेत्रों को नियमानुसार चिन्हित करते हुए सक्षम विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	जनपद का नाम	उप खनिज का नाम	नदी का नाम	क्षेत्र का विवरण							खनन योग्य आंकलित उपखनिज का भण्डार(घनमी0 प्रतिवर्ष)
				तहसील	ग्राम	गाटा सं0/ खण्ड सं0	सीमा बिन्दु	अक्षांश (Latitude) N	देशान्तर (Longitude) E	क्षेत्रफल (हे0 में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	बलिया	सा0 बालू	घाघरा नदी	सिकन्दर पुर	कठौड़ा	3020मि	A	26°05'43.4"	84°02'16.6"	5.00 हे0	75000
							B	26°05'48.4"	84°02'19.7"		
							C	26°05'40.1"	84°02'36.2"		
							D	26°05'36.8"	84°02'32.1"		
2.	बलिया	सा0 बालू	घाघरा नदी	सिकन्दर पुर	डूहा बिहरा	3101मि.	A	26°06'44.8"	83°59'28.7"	5.00 हे0	75000
							B	26°06'48.30"	83°59'30.9"		
							C	26°06'46.4"	83°59'46.5"		
							D	26°06'39.2"	83°59'41.7"		

उपरोक्त 02 नये साधारण बालू खनन क्षेत्रों को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट दिनांक 12.12.2017 में प्रथम संशोधन करते हुए सम्मिलित किया जाना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 के परिष्टि संख्या–10 में निम्नवत् उल्लेख हैः–

"जिले में प्रत्येक लघु खनिज के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पृथक रूप से तैयार की जायेगी और इसके प्रारूप को कलेक्ट्रेट में इसकी प्रति को रखते हुए पब्लिक डोमेन में रखा जायेगा तथा इसे जिले की वेवसाइट पर इक्कीस दिन के लिए पोस्ट किया जायेगा। प्राप्त की गई टिप्पणियों पर विचार किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उन्हें डी0आई0ए0ए0 द्वारा छः माह के भीतर अन्तिम रूप दी जाने वाली अन्तिम रिपोर्ट में शामिल किया जायेगा।"

अतः आम जनमानस से अपेक्षा है कि उपरोक्त 02 नये साधारण बालू खनन क्षेत्रों के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव नियत तिथि तक अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आपत्ति/सुझाव प्राप्त न होने की दशा मे यह समझा जायेगा कि किसी को भी उक्त 02 नये साधारण बालू खनन क्षेत्रों के लिए कोई आपत्ति नही है। तदानुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रथम संशोधन करते हुए उक्त 02 साधारण बालू क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए परिहार पर उठाये जाने हेतु उपलब्ध घोषित कर दिया जायेगा।

(श्रीहरि प्रताप शाही)
जिलाधिकारी
बलिया।